ई-मेल का पता
olgc-ppqs@gov.in

टेलीफोन/Telephone: 0129-2476333

मिसिल सं./F.N.-ई-11077/1/2024-राजभाषा
भारत **सरकार**/Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/Department of Agriculture & Farmers Welfare
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage
एन.एच.4, फरीदाबाद-121001(हरियाणा)/N.H.-IV, Faridabad-121001

दिनांक/Dated: 11 नवम्बर 2024

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन ।

जैसा कि आपको विदित है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रत्येक छोटे अथवा बड़े कार्यालय में कार्यालय के प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करना और प्रत्येक तीन महीने के नियमित अंतराल पर उसकी बैठकें करना अनिवार्य है ताकि इन बैठकों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन हेतु विचार-विमर्श करके कार्यालय में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु ठोस निर्णय लिए जा सकें । निदेशालय में उपलब्ध रिकार्ड से पता चलता है कि विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं जबकि इस संबंध में समय-समय पर निदेशालय(मुख्यालय) की ओर से आदेश जारी किए गए हैं । यह अत्यधिक गम्भीर स्थिति है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के प्रति उदासीनता का परिचायक है ।

अतः निदेशालय के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को इस कार्यालय-ज्ञापन के माध्यम से निदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करें(यदि पहले से गठित नहीं हो) तथा प्रत्येक तिमाही में इसकी बैठकें आयोजित करके उसका कार्यवृत्त निदेशालय मुख्यालय को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें और बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची भी संलग्न की जाए। बैठकों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की जानी अपेक्षित हैः-

(1) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई ।
(2) राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा ।
(3) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन की स्थिति ।
(4) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चालू वर्ष के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में मूल पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विचार-विमर्श ।
(5) राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों/निदेशों के अनुसार जिन मदों का द्विभाषी होना अनिवार्य है, उनकी स्थिति पर चर्चा ।
(6) कम्प्यूटरों पर यूनिकोड सॉफ्टवेयर एवं कंठस्थ सॉफ्टवेयर अपलोड करना ।
(7) कार्यालय में समग्र रूप से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा ।

इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया जाता है कि बैठकों में उपर्युक्त मदों पर चर्चा के उपरांत लिए गए निर्णयों का बैठक के कार्यवृत्त में भी उल्लेख किया जाए।

(डॉ. जे.पी.सिंह)
वनस्पति संरक्षण सलाहकार

प्रेषितः-

1. निदेशालय (मु.) के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी ।
2. प्रभारी अधिकारी (आई.टी.सेल) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को निदेशालय की वेबसाइट के राजभाषा शीर्षक के तहत अपलोड कर दें ।